

शेडीय

पत्रावली पेश हुई। प्राथीगल का  
वाद खारीज हो चुका है। वाद के  
अभाव में पार्चना - फा अस्थाई - निषेधाज्ञा  
के चलाये जाने का कोई औचित्य  
नहीं है। अतः पार्चना फा प्राची  
अस्थाई - निषेधाज्ञा खारीज किया  
जाता है। पत्रावली के तल शुमार  
लेफ्ट नम्बर से कम है दाखिल  
दफतर है। निर्णय खुले न्यायालय  
में हुआ था तथा /

गजिस्ट्र फास्ट ट्रेक लालसोट